

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 20, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. 25538-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 37 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३७ सन् २०१२

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१२.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. वृहत् नाम का स्थापन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ९-क का स्थापन.
५. धारा ४८ का संशोधन.
६. धारा ४८-क का संशोधन.
७. धारा ४८-ख का संशोधन.
८. धारा ४९ का संशोधन.
९. धारा ५२-ख का लोप.
१०. धारा ५३ का स्थापन.
११. धारा ५३-क का संशोधन.
१२. धारा ५६ का संशोधन.
१३. अध्याय पांच-क का अंतःस्थापन.
१४. धारा ५८ का संशोधन.
१५. धारा ६९-ख का स्थापन.
१६. धारा ७० का संशोधन.
१७. धारा ७४ का संशोधन.
१८. धारा ७५ का संशोधन.
१९. धारा ८० का संशोधन.
२०. धारा ८६ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३७ सन् २०१२

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१२.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह १३ फरवरी, २०१३ से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

वृहत् नाम का स्थापन.

“लोकतांत्रिक साधन के रूप में और स्वयंसेवी तथा पारस्परिक सहायता पर आधारित लोक संस्थाओं के रूप में सहकारिताओं को संगठित करने, उनका विकास करने और उनकी स्वैच्छिक रचना, स्वशासी कार्यकरण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोन्नत करने और जनता के विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास, सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम.”

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

धारा २ का संशोधन.

(एक) खण्ड (ख-एक) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ख-दो) “प्राधिकारी” से अभिप्रेत है धारा ५७-ग की उपधारा (१) के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी;”;

(दो) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए; अर्थात् :-

“(घ) “संचालक मण्डल” से अभिप्रेत है, धारा ४८ के अधीन गठित किसी सहकारी सोसाइटी का कोई ऐसा शासी निकाय या प्रबंधन बोर्ड चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसे किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध का संचालन और नियंत्रण सौंपा गया हो;”;

(तीन) खण्ड (द) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(द-एक) “बहुराज्य सहकारी सोसाइटी” से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी, जिसके उद्देश्य एक ही राज्य तक सीमित न हों और जो ऐसी सहकारी संस्थाओं के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गई हों;”;

(चार) खण्ड (भ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(भ) “रजिस्ट्रार” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा ३ के अधीन नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार और बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार;”;

(पांच) खण्ड (म-एक) में, शब्द “रजिस्ट्रार” के स्थान पर, शब्द “राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी” स्थापित किया जाए;

(छह) खण्ड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ककक) “राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी” से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण राज्य में हो और जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई हो.”

धारा ९-क का
स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ९-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

विद्यमान
सहकारिताओं की
व्यावृत्ति.

“१-क. (१) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (निरसित अधिनियम) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिताएं, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों और बनाई गई उप विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाएंगी जहां तक कि वे इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत न हों, निरन्तर बनी रहेगी जब तक कि वे परिवर्तित या विखण्डित न कर दी जाएं.

(२) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०१२ के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर, ऐसी उपविधियां निरसित या संशोधित करेगी, जो इस संशोधन अधिनियम के उपबंधों से असंगत हैं तथा इस संशोधन अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अतिरिक्त उपविधियां बनाएगी जैसा कि आवश्यक हो.”

धारा ४८ का
संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४८ में,—

(एक) उपधारा (३) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) यदि सोसाइटी में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के वैयक्तिक सदस्य हों, तो एक स्थान, उस प्रवर्ग के सदस्य के लिए आरक्षित रखा जाएगा जिसके अन्य की अपेक्षा अधिक सदस्य हों.

(ख) ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के संचालक मण्डल में, जिसमें वैयक्तिक महिला सदस्य हों, दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे.”

(दो) उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(५) प्रत्येक सोसाइटी के संचालक मण्डल में एक अध्यक्ष/सभापति तथा दो उपाध्यक्ष/उप-सभापति होंगे.”

(तीन) उपधारा (५ क) का लोप किया जाए;

(चार) उपधारा (६) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(७) किसी संसाधन सोसाइटी में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उधार न लेने वाला सदस्य है, समिति के सदस्य के रूप में, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा न ही वह ऐसी सोसाइटी की समिति, उसके प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा:

परन्तु इस उपधारा के उपबंध सोसाइटी को उस तारीख से लागू होंगे जिसको कि वह उधार देने की अपनी सक्रियाएं प्रारंभ करती है:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के उपबंध, सोसाइटी की, जहां तक कि उसकी प्रथम अनंतिम समिति का संबंध है, लागू नहीं होंगे:

परन्तु यह भी कि इस उपधारा के उपबंध प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के निक्षेपकर्ता सदस्य पर लागू नहीं होंगे.

स्पष्टीकरण.—उधार न लेने वाला सदस्य वह होगा जिसने ऐसे किसी बैंक या ऐसी किसी सोसाइटी से, जिसका कि वह एक सदस्य है, कभी उधार न लिया हो.”;

(पांच) उपधारा (८) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(८) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सोसाइटी के संचालक मण्डल में सदस्यों की कुल संख्या, धारा ५२ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त सरकार के नामनिर्देशितियों और पदेन सदस्यों को छोड़कर पन्द्रह से अधिक नहीं होगी :

परन्तु धारा ५२ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त ऐसे सरकार के नामनिर्देशितियों तथा पदेन सदस्यों को उनकी ऐसे सदस्य की हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा या संचालक मण्डल के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए वे पात्र नहीं होंगे.

(९) बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी द्वारा हाथ में लिए जाने वाले उद्देश्यों तथा गतिविधियों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति, संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में सहयोजित किए जाएंगे:

परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्य उपधारा (८) में विनिर्दिष्ट पन्द्रह संचालकों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होंगे:

परन्तु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को उनकी ऐसे सदस्य की हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मत देने का अथवा संचालक मंडल में पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का अधिकार नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि समिति के समस्त व्यावसायिक संचालक उनकी पदावधि के पूर्ण होने तक इस अधिनियम द्वारा उन्हें प्रदत्त समस्त विधिक अधिकार प्राप्त करते रहेंगे.

(१०) संचालक मंडल, यदि संचालक मंडल की अवधि उसकी मूल अवधि से आधे से कम है तो सदस्यों के उसी वर्ग से, जिसके कि संबंध में आकस्मिक रिक्ति उद्भूत हुई है, नामनिर्देशन द्वारा आकस्मिक रिक्ति भर सकेगा.

(११) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन में सदस्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करेगी. सम्मिलन में उपस्थित होने की न्यूनतम आवश्यकता तथा उन सेवाओं का न्यूनतम स्तर जिनका कि सदस्यों द्वारा उपयोग किया जाएगा, ऐसा होगा जैसा कि सोसाइटी की उप विधियों में विहित किया जाए.”.

६. मूल अधिनियम की धारा ४८-क में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ४८-क का संशोधन.

“(५) कोई भी व्यक्ति, किसी सोसाइटी में किसी विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा और उस रूप में अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा यदि वह उस सोसाइटी में कोई विनिर्दिष्ट

निर्वाचित पद दो लगातार कार्यकालों तक या दस वर्षों की लगातार कालावधि तक, इनमें से जो भी कम हो, धारण कर चुका हो :

परन्तु किसी व्यक्ति को ऐसे विनिर्दिष्ट पद पर तब तक पुनः निर्वाचित नहीं किया जाएगा जब तक कि एक पूरे कार्यकाल के बराबर की कालावधि का अवसान न हो गया हो.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, यदि इस उपधारा में उल्लिखित किसी विनिर्दिष्ट पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद को किसी कार्यकाल के दौरान किसी भी समय त्याग देता है या ऐसे पद पर निर्वाचित हो जाता है तो यथास्थिति उसके द्वारा त्याग-पत्र दे दिया जाने पर या पद ग्रहण कर लेने पर उस संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने अपनी पदावधि पूर्ण कर ली है.”

धारा ४८-ख का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४८-ख में, उपधारा (२) का लोप किया जाए.

धारा ४९ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४९ में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर साधारण निकाय का वार्षिक सम्मिलन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए बुलाएगी:—

(क) सोसाइटी के क्रियाकलापों का, जो कि संचालक मंडल द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया गया हो, अनुमोदन करने के लिए;

(ख) संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन, यदि वह कराया जाना अपेक्षित हो गया है:

स्पष्टीकरण.—संचालक मंडल का निर्वाचन अपेक्षित हो गया समझा जाएगा यदि संचालक मंडल की अवधि समाप्त हो गई हो;

(ग) संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि प्राप्त हुई हो तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए;

(घ) शुद्ध लाभ के व्ययन के लिए;

(ङ) किसी अन्य विषय पर, जो कि उपविधियों के अनुसार लाया जाए, विचार करने के लिए;

(च) आगामी सहकारी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करने के लिए;

(छ) वित्तीय वर्ष में कार्य संचालन के कारण हुए घाटे के कारणों का परीक्षण करना; और

(ज) लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए संपरीक्षक की नियुक्ति करना:

परन्तु जहां किसी सोसाइटी के संबंध में धारा ६९ के अधीन समापन का आदेश दिया गया है तो वहां वार्षिक साधारण सम्मिलन बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा”;

(दो) उपधारा (१-क) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (७-क) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(एक) संचालक मंडल तथा पदाधिकारियों का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा :

परन्तु जहां किसी संचालक मंडल को अतिष्ठित या निलंबित किया गया है या अधिनियम के अधीन हटाया गया है किसी न्यायालय के या प्राधिकारी के किसी आदेश के परिणामस्वरूप पुनः स्थापित हो

जाता है, वहां वह कालावधि, जिसके दौरान वह संचालक मंडल यथास्थिति, अतिष्ठित, निलंबित या पद पर नहीं रहा है, पूर्वोक्त कार्यकाल की गणना करने में अपवर्जित कर दी जायेगी.'।

(चार) उपधारा (७-क क) का, (७-क क क) का और (८) का लोप किया जाए.

९. मूल अधिनियम की धारा ५२-ख का लोप किया जाए.

धारा ५२-ख का लोप.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ५३ का स्थापन.

“५३ (१) यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सोसाइटी का संचालक मंडल,—

संचालक मंडल का अतिष्ठान.

(क) निरन्तर व्यतिक्रम करता है; या

(ख) इस अधिनियम या उस सोसाइटी की उपविधियों द्वारा या उनके अधीन या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षावान है या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए रजामंद नहीं है; या

(ग) ऐसे कार्य करता है जो उस सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हैं; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों का या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश का अतिक्रमण करता है; या

(ङ) किसी सोसाइटी के संचालक मंडल के गठन में या कृत्यों में कोई गतिरोध है; या

(च) प्राधिकारी, विहित समय-सीमा के भीतर निर्वाचन कराने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार, लिखित में आदेश द्वारा संचालक मंडल को हटा सकेगा और सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए जो छह मास से अधिक नहीं होगी और सहकारी बैंक की दशा में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु ऐसी किसी सोसाइटी के संचालक मंडल को अतिष्ठित नहीं किया जाएगा अथवा निलंबित नहीं रखा जाएगा जिसमें सरकार का कोई अंश न हो अथवा ऋण या वित्तीय सहायता अथवा सरकार द्वारा कोई गारण्टी न दी गई हो:

परन्तु सहकारी बैंक के मामले में, अतिष्ठान का आदेश रिजर्व बैंक से पूर्व परामर्श किए बिना नहीं दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें कि प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में रिजर्व बैंक के विचार अंतर्विष्ट हों, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया हो, उस बैंक को प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्रवाई से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संचालक मंडल को अभिकथनों, दस्तावेजों तथा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्षियों की एक सूची तथा प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो.

- (३) इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रशासक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण के तथा ऐसे अनुदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अध्यक्षीन रहते हुए, संचालक मंडल या सोसाइटी के किसी अधिकारी की समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने तथा उसके समस्त कृत्यों या उनमें से किसी कृत्य का निर्वहन करने और समस्त ऐसी कार्रवाइयां, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हैं, करने की शक्ति होगी.
- (४) रजिस्ट्रार वह पारिश्रमिक नियत कर सकेगा जो इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रशासक को देय हो, ऐसे पारिश्रमिक की रकम तथा उस सोसाइटी के प्रबंध में किए गए अन्य खर्चें, यदि कोई हों, उसकी निधियों में से देय होंगे.
- (५) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करेगा और धारा ५३ की उपधारा (१) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राधिकारी के निदेशों के अधीन निर्वाचन कराने की व्यवस्था करेगा.
- (६) किसी वित्तदायी बैंक के संबंध में या किसी ऐसी सोसाइटी, जो किसी वित्तदायी बैंक की ऋणी हो, के संबंध में उपधारा (१) के अधीन कार्रवाई करने के पूर्व, रजिस्ट्रार, पूर्वकथित मामले में, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित से और पश्चात् कथित मामले में, संबंधित वित्तदायी बैंक से ऐसी कार्रवाई के संबंध में परामर्श करेगा. यदि यथास्थिति, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या वित्तदायी बैंक अपने विचार उस निवेदन के जिसमें कि परामर्श चाहा गया है, ऐसे बैंक को प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर संसूचित न करे, तो यह उपधारणा की जाएगी कि यथास्थिति मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या संबंधित वित्तदायी बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है.
- (७) धारा ४८, ४९ तथा ५० में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मामले में सोसाइटी के साधारण निकाय तथा उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच कोई मतभेद हो तो मामला विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यदि रजिस्ट्रार, साधारण निकाय के सम्मिलन के तीन मास के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है तो सोसाइटी के साधारण निकाय का विनिश्चय अभिभावी होगा.

- (८) इस धारा में की किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति पर प्रभाव डालती है.
- (९) सूचना के जारी किए जाने तथा संचालक मंडल को हटाए जाने के आदेश पारित किए जाने के बीच की कालावधि के दौरान, रजिस्ट्रार द्वारा संचालक मंडल से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी के, जिसे कि रजिस्ट्रार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पर्यवेक्षण के अधीन तथा उसके अनुमोदन से कृत्य करे और संचालक मंडल द्वारा किया गया कोई भी आदेश या पारित किया गया संकल्प या किया गया कोई अन्य कार्य तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए:

परन्तु जहां उपधारा (२) के अधीन कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होते हुए रजिस्ट्रार की यह राय हो कि कार्यवाही की कालावधि के दौरान संचालक मंडल का निलंबन सोसाइटी के हित में आवश्यक है, तो वह संचालक मंडल को निलंबित कर सकेगा, जो (संचालक मंडल) तदुपरांत कार्य करने से प्रविरत हो जाएगा और ऐसा इन्तजाम कर सकेगा जैसा कि उपधारा (१) के अधीन कार्यवाही पूरी होने तथा आदेश जारी होने तक सोसाइटी के कामकाज के प्रबंध के लिए वह उचित समझे:

परन्तु यह और कि निलंबन की कालावधि छह मास से अधिक नहीं होगी और उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर संचालक मंडल का निलंबन प्रतिसंहत हो जाएगा:

परन्तु यह भी कि यदि इस प्रकार निलंबित किए गए संचालक मण्डल का अतिष्ठान ऊपर वर्णित कार्यवाहियों के किए जाने के पश्चात् न किया जाए तो उसे पुनःस्थापित किया जाएगा और उस कालावधि की, जिसके कि दौरान वह निलम्बित रहा हो गणना उसकी पदावधि के प्रति की जाएगी:

परन्तु यह भी कि कोई निलंबन आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सोसाइटी के संचालक मण्डल को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(१०) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, नगरीय सहकारी बैंकों, नगरीय साख सहकारी सोसाइटियों तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के मामले में, यदि निरंतर तीन सहकारी वर्षों में वसूली मांग के ६० प्रतिशत से कम है या यदि अतिशोध्य (ओवरड्यूज) ४० प्रतिशत से अधिक है. उस बैंक के संचालक मण्डल या प्रबंध संचालक मण्डल के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, हटाए जाने के लिए तथा कुल मिलाकर एक वर्ष से और किसी नगरीय साख सहकारी सोसाइटी की दशा में छह मास से अनधिक की ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, उसके हेतु किसी प्रशासक की नियुक्ति के लिए आदेश देगा तथा ऐसी नियुक्ति होने पर उपधारा (३), (४) तथा (५) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों कि आदेश उपधारा (१) के अधीन दिया गया था:

परन्तु किसी सहकारी बैंक के मामले में, हटाए जाने का आदेश, रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श के बिना पारित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें कि प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में रिजर्व बैंक के विचार अंतर्विष्ट हों, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया है, उस बैंक को प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्रवाई से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश, जैसा कि उचित समझा जाए, पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा:

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई आदेश, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि संचालक मंडल को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो.

(११) जब किसी सोसाइटी के संचालक मंडल को उपधारा (१) के अधीन अतिष्ठित कर दिया गया है तो उस संचालक मंडल का कोई सदस्य, इस अधिनियम, उसके अधीन बनाये गए नियमों या उस सोसायटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सात वर्ष की कालावधि तक किसी भी सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ने के लिये पात्र नहीं होगा और न ही उसमें सहयोजन या नामनिर्देशन के लिये पात्र होगा:

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य को लागू नहीं होगी जो कि संचालक मंडल के ऐसे विनिश्चय का जिससे उसका अधिक्रमण हुआ हो, पक्षकार नहीं था.

(१२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सोसायटी का संचालक मंडल किसी न्यायालय के आदेश के कारण या विहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए, तो रजिस्ट्रार उस समय तक के लिये संचालक मंडल को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा जब तक कि न्यायालय का आदेश बातिल न कर दिया जो या नवीन निर्वाचन न हो जाए तथा संचालक मंडल कार्यभार ग्रहण न कर ले:

परन्तु यदि सोसाइटी यथाविहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया प्राधिकारी के निदेशों के अधीन, ऐसे प्रशासक की नियुक्ति की तारीख

से छह मास की कालावधि के भीतर सोसाइटी के संचालक मंडल का निर्वाचन कराएगा तथा संचालक मंडल का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेगा:

परन्तु यह और कि किसी सहकारी बैंक के मामले में रजिस्ट्रार द्वारा रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श के बिना किसी प्रशासक की नियुक्ति नहीं की जाएगी:

परन्तु यह भी कि यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें कि प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में रिजर्व बैंक के विचार अंतर्विष्ट हों, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया है, उस बैंक को प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्रवाई से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश, जैसा कि उचित समझा जाए, पारित करने लिए स्वतंत्र होगा.

(१३) (क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक की दशा में, यदि रिजर्व बैंक द्वारा, जनहित में या निक्षेपकर्ताओं के हितों के विपरीत रीति में किए जा रहे सहकारी बैंकों के मामलों को रोकने या सहकारी बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए, वैसी अपेक्षा की जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा, संचालक मंडल या प्रबंध निकाय को (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) हटाने के लिये तथा सहकारी बैंक के कामकाज का प्रबंध करने के लिये कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की उतनी कालावधि या कालावधियों के लिए प्रशासक नियुक्त करने के लिये जितनी कि रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, आदेश किया जाएगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासन अपनी पदावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी नई समिति का प्रथम सम्मिलन आयोजित होने के दिन से अव्यवहित पूर्व की तारीख तक पद पर बना रहेगा.

(ख) प्रशासन की इस प्रकार नियुक्ति हो जाने पर, उपधारा (३) के उपबंध उस पर भी लागू होंगे.

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित किए जाने पर किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट है, कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा तथा ऐसा आदेश किसी भी रीति में प्रश्नगत किए जाने का दायी नहीं होगा.”

धारा ५३-क का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ५३-क में उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (दो) का लोप किया जाए;

(दो) खण्ड (चार) के नीचे उपखण्ड (ख) का लोप किया जाए.

धारा ५६ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(२) प्रत्येक सोसायटी, सोसाइटी के किसी अधिकारी या कर्मचारी पर इस बात का विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व नियत करेगी कि वह ऐसे अभिलेख, रजिस्टर, लेखा पुस्तकें बनाए रखे और सोसायटी रजिस्ट्रार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर विवरणियां प्रस्तुत करेगी जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(एक) उसके क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

(दो) उसके लेखाओं के संपरीक्षित विवरण;

(तीन) सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अतिशेष व्ययन के लिये प्लान;

(चार) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों की सूची, यदि कोई हों;

(पांच) उसके साधारण निकाय का सम्मिलन आयोजित करने की तारीख के संबंध में घोषणा तथा निर्वाचन कराना, जब अपेक्षित हो जाए; और

(छह) अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी.''

१३. मूल अधिनियम के अध्याय पांच के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

अध्याय पांच क
का अंतःस्थापन.

“अध्याय पांच-क
सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन

५७-ख. (१) संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन, संचालक मंडल की पदावधि का अवसान होने के पूर्व किया जाएगा जिससे कि संचालक मंडल के नवीन निर्वाचित किए गए सदस्यों का, बहिर्गामी संचालक मंडल के सदस्यों की पदावधि का अवसान होने पर तुरंत पद धारण करना सुनिश्चित किया जा सके.

संचालक मंडल का
निर्वाचन.

(२) सहकारी सोसाइटियों के समस्त निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने और उनका संचालन करने हेतु अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी में निहित होगा.

५७-ग.(१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा.

राज्य सहकारी
निर्वाचन प्राधिकारी.

(२) राज्य सरकार द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली छानबीन समिति की अनुशंसा पर प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा—

- (एक) मुख्य सचिव, जो समिति का चेयरपर्सन होगा;
- (दो) प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग सदस्य के रूप में ;
- (तीन) प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग सदस्य सचिव के रूप में.

(३) (क) केवल ऐसा व्यक्ति, जिसने राज्य सरकार के सचिव की पद श्रेणी से अनिम्न पद पर कार्य किया है, प्राधिकारी के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होगा.

(ख) प्राधिकारी के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उस दिनांक से, जिस दिनांक को वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् प्राधिकारी का पद धारण नहीं करेगा.

(४) (क) प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा.

(ख) प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति कदाचरण या अक्षमता के आधार पर राज्य सरकार के आदेश द्वारा या निम्नलिखित आधार पर पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह व्यक्ति—

- (एक) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो गया हो; या
- (दो) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित हो; या

- (तीन) अपनी पदावधि के दौरान अपने पदीय कर्तव्यों से परे कोई ऐसा नियोजन स्वीकार करता है जिसके लिए उसे भुगतान प्राप्त होता हो;
- (चार) सरकार की राय में, मस्तिष्क या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो गया हो; या
- (पांच) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लेता है जिससे प्राधिकारी के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो.

(५) यदि मृत्यु, त्यागपत्र, नियुक्ति की पदावधि का अवसान या किसी अन्य कारण से, चाहे वह जो भी हो, प्राधिकारी के पद में कोई रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति, इस धारा के अधीन नियुक्त किये जाने के लिये अर्हित किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी.

(६) प्राधिकारी का मुख्यालय भोपाल में होगा.

(७) प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति का वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(८) राज्य सरकार प्राधिकारी को ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक हों.

(९) इस अध्याय के प्रयोजन के लिये संभागीय स्तर पर संयुक्त पंजीयक सहकारी सोसाइटी और जिला स्तर पर उप/सहायक पंजीयक सहकारी सोसाइटी क्रमशः संभागीय समन्वयक और जिला समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे और निर्वाचन का संचालन करने के लिए ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उसे प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाएं.

प्राधिकारी के कृत्य.

५७-घ. (१) प्राधिकारी, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन ऐसी रीति में संचालित करेगा, जैसी कि विहित की जाए.

(२) धारा ४८ की उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि का अवसान होने के चार मास पूर्व, उसकी समिति के निर्वाचन संचालित कराने के लिये प्राधिकारी को ऐसी रीति में लिखित में अनुरोध करेगी जैसी कि विहित की जाए.

(३) उपधारा (२) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यमान समिति की अवधि का अवसान होने के पूर्व निर्वाचन संपन्न हो जाए:

परन्तु यदि समिति विहित समय के भीतर लिखित अनुरोध नहीं भेजती है तो प्राधिकारी स्वप्रेरणा से निर्वाचन कराएगा.

(४) किसी सोसाइटी की समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख जिनकी की प्राधिकारी निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, अद्यतन रखे और उसका प्राधिकारी या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को समय पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे.

(५) सोसाइटी की समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकारी को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराई जाए, जैसी कि निर्वाचन का संचालन कराने के लिए अपेक्षित हो.

(६) प्राधिकारी किसी सोसाइटी की समिति के निर्वाचन कराने के लिए विहित रीति में एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा.

५७-ड सहकारी सोसाइटी की समिति के निर्वाचन कराने के लिये समस्त व्ययों का वहन संबंधित सोसाइटी द्वारा किया जाएगा. निर्वाचन संचालित कराने के लिये लिखित में अनुरोध के साथ प्रक्रिया शुल्क, जैसा कि विहित किया जाए, सोसाइटी को प्राधिकारी के खाते में जमा करना होगा:

निर्वाचन व्यय.

परन्तु यदि कोई सोसाइटी प्रक्रिया शुल्क जमा नहीं करती है तो प्राधिकारी को उसे सरकारी शोध के समान वसूल करने की शक्ति होगी.

५७-च. प्राधिकारी, किसी सोसाइटी या उसकी समिति या सदस्यों को स्वतंत्र निष्पक्ष और पक्षपात रहित निर्वाचन कराने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसे कि आवश्यक समझे जाएं. इस निमित्त जारी निदेश बंधनकारी होंगे.”.

निदेश जारी करने की शक्ति.

१४. मूल अधिनियम की धारा ५८ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

धारा ५८ का संशोधन.

“(१) (क) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किए गए संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करवाएगी तथा उस संपरीक्षा शुल्क का भुगतान करेगी जो कि विहित किया जाए :

परन्तु किसी परिसमाप्त सोसाइटी की दशा में, परिसमापक, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पेनल में से किसी संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म को नियुक्त करने के लिये अधिकृत होगा.

(ख) सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए पात्र संपरीक्षक तथा संपरीक्षा फर्म की न्यूनतम अर्हताएं तथा अनुभव ऐसा होगा जो कि रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाए.

(ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के छह मास के भीतर कराई जाएगी.

(घ) शीर्ष सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

(ङ) लेखाओं का विवरण तथा संपरीक्षा रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी, यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उनमें कोई फर्क अनियमितता या गबन है तो रजिस्ट्रार अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगा अथवा उन्हें सुधारने के लिये वापस कर सकेगा अथवा लेखाओं की विशेष संपरीक्षा का आदेश दे सकेगा.”.

१५. मूल अधिनियम की धारा ६९-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

धारा ६९-ख का स्थापन.

“६९-ख. जहां किसी ऐसे सहकारी बैंक का, जो कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४७) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, परिसमापन कर दिया गया हो या जो समापनाधीन कर दिया गया हो और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं के प्रति, उस अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) के अधीन दायित्वाधीन हो गया हो, वहां निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम को उन परिस्थितियों में पुनर्भुगतान उस सीमा तक तथा उस रीति में किया जाएगा जो कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४७), धारा २१ में उपबंधित है.”.

बीमाकृत बैंक के मामले में निक्षेप बीमा निगम का पुनर्भुगतान.

१६. मूल अधिनियम की धारा ७० में, उपधारा (१) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित, परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

धारा ७० का संशोधन.

“परन्तु किसी सहकारी बैंक के संबंध में, बैंक का परिसमापन करने तथा उसका परिसमापक नियुक्त करने के

लिए रिजर्व बैंक की लिखित में पूर्व स्वीकृति से अथवा रिजर्व बैंक द्वारा अध्यपेक्षा किए जाने पर, रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आदेश को किसी भी सहकारी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.”

धारा ७४ का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की ७४ में, खण्ड (ट) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् शब्द “या” अन्तःस्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

- “(ट) कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किसी समन, अध्यपेक्षा या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है; या
- (ड) कोई नियोजक जो बिना किसी पर्याप्त कारण से, उसके द्वारा उसके कर्मचारी से काटी गई रकम का उस तारीख से, जिसको कि ऐसी कटौती की गई हो चौदह दिन की कालावधि के भीतर किसी सहकारी सोसाइटी को भुगतान करने में असफल रहता है; या
- (ढ) जो कोई संचालक मण्डल अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के पूर्व, दौरान या उसके पश्चात् कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है.”

धारा ७५ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा ७५ में, खण्ड (क) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, शब्द “या” अन्तःस्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

- “(ठ) जुर्माने से, जो २५,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (ठ) में निर्दिष्ट किए गए किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या
- (ड) जुर्माने से, जो २५,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (ड) में निर्दिष्ट किए गए किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या
- (ढ) जुर्माने से, जो ५०,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा ७५(ढ) में निर्दिष्ट किए गए किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो.”

धारा ८० का संशोधन.

१९. मूल अधिनियम की धारा ८० में, शब्द और अंक “धारा ७८” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “धारा ७८ और ८०-क” स्थापित किए जाएं, और शब्द “संयुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार” के स्थान पर, शब्द “या संयुक्त रजिस्ट्रार” स्थापित किए जाएं.

धारा ८६ का संशोधन

२०. मूल अधिनियम की धारा ८६ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए अर्थात्:—

- “(१) ऐसी प्रत्येक सूचना या आदेश की, जो इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन जारी की गई या किया गया है, किसी व्यक्ति पर तामील, उसे रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक पत्र द्वारा या किसी सार्वजनिक सूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति के निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर उचित रूप से संबोधित करके की जा सकेगी :

परन्तु किसी संचालक मंडल के सम्मिलन से संबंधित सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक और/या उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करने के पश्चात् व्यक्तिशः परिदत्त करके जारी की जाएगी.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संसद ने संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, २०११ (जो इसमें इसके पश्चात् संशोधन अधिनियम, २०११ के नाम से निर्दिष्ट है) अधिनियमित करके भारत के संविधान को और संशोधित किया है। संशोधन अधिनियम, २०११ में अनुच्छेद २४३-य ज से २४३-य न अंतर्विष्ट करते हुए, सहकारी सोसाइटी के संबंध में एक नया भाग नौ-ख अंतःस्थापित किया गया है।

२. अनुच्छेद २४३-य न में यह उपबंध है कि संशोधन अधिनियम, २०११ के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व सहकारी सोसाइटी से संबंधित राज्य में लागू कोई ऐसी विधि जो कि उपरोक्त अधिनियम के उपबंधों से असंगत है, तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि सक्षम विधान-मण्डल द्वारा संशोधित या निरसित नहीं कर दी जाए या ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष का अवसान न हो जाए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

३. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् राज्य अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) मध्यप्रदेश राज्य में लागू है। अनुच्छेद २४३-य न के उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि संशोधन अधिनियम, २०११ के अनुसरण में राज्य अधिनियम में उपबंध किए जाएं।

४. उपरोक्त के आलोक में, राज्य अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

५. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

- (एक) खण्ड २ और ३ :— राज्य अधिनियम के वृहत नाम को संशोधित किया गया है और नई परिभाषाओं का अंतःस्थापन प्रस्तावित किया गया है।
- (दो) खण्ड ४ :—विद्यमान रजिस्ट्रीकृत सहकारिताओं के लिये व्यावृत्ति खण्ड का उपबंध किया गया है।
- (तीन) खण्ड ५, ६, तथा ७ :— अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिये स्थानों के आरक्षण का उपबंध प्रस्तावित किया गया है। विनिर्दिष्ट पद धारण करने हेतु निरर्हता, आकस्मिक रिक्ति को भरने तथा सम्मिलन में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम अपेक्षा करने हेतु आवश्यक उपबंध किया गया है।
- (चार) खण्ड ८ :— सहकारी सोसाइटी का वार्षिक साधारण सम्मिलन नियत कालावधि के भीतर बुलाने के लिये आवश्यक उपबंध किया गया है।
- (पांच) खण्ड ९ :—संचालक मंडल में महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व के उपबंध का लोप किया जाना प्रस्तावित है।
- (छह) खण्ड १० :— इस खण्ड में, संशोधन अधिनियम, २०११ द्वारा यथाअपेक्षित, संचालक मंडल के अतिष्ठान, निलंबन तथा अंतरिम व्यवस्था के संबंध में, यथोचित उपबंध जोड़े गए हैं।
- (सात) खण्ड ११ :— संचालक मंडल के कार्यकाल का अवसान हो जाने पर कार्यभार ग्रहण के उपबंध का लोप किया जाना प्रस्तावित है।
- (आठ) खण्ड १२ :—विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु उपबंध प्रस्तावित किए गए हैं।
- (नौ) खण्ड १३ :— संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन और राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति और प्राधिकारी के कृत्यों के संबंध में एक नया अध्याय प्रस्तावित है।
- (दस) खण्ड १४ :— सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा के उपबंध यथोचित रूप से पुनरीक्षित किए गए हैं।
- (ग्यारह) खण्ड १५ :—निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के पुनर्भुगतान के लिये आवश्यक उपबंध प्रस्तावित किए गए हैं।

- (बारह) खण्ड १६ :—आवश्यक उपबंध इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है जिससे कि समापक की नियुक्ति का आदेश किसी भी रीति में प्रश्नगत न किया जा सके.
- (तेरह) खण्ड १७ :—कतिपय कृत्य किये जाने अथवा उसके लोप को अपराध के रूप में सम्मिलित किया गया है.
- (चौदह) खण्ड १८ :—कतिपय कृत्य किए जाने अथवा उसके लोप के लिए शास्तियां सम्मिलित की गई हैं.
- (पन्द्रह) खण्ड १९ :—मामलों को अंतरित करने या वापस लेने का उपबंध परिवर्तित किया गया है.
- (सोलह) खण्ड २० :— इस खण्ड में नोटिस की तामिली की प्रक्रिया को परिवर्तित किया गया है. नोटिस केवल रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या दस्ती तामिल किया जाएगा.

६. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ६ दिसम्बर, २०१२.

गौरीशंकर बिसेन
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

वित्तीय ज्ञापन

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१२ में निहित प्रावधानों के प्रभावशील होने की दशा में राज्य की संचित निधि पर से आवर्ती व्यय में रुपये ९२,४०,०००/- वार्षिक एवं अनावर्ती व्यय में रुपये १९,०६,०००/- व्यय होना संभावित है।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१२ के द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड-४. के द्वारा विद्यमान सहकारिताओं को सहकारी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत समझी जाने संबंधी प्रक्रिया नियत किए जाने;

खण्ड-५. महिलाओं के दो स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया नियत करने;

खण्ड-१३. निर्वाचन की प्रक्रिया, प्राधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं सेवाशर्तों, निर्वाचन-व्यय आदि के निर्धारण किए जाने;

खण्ड-१४. सहकारी संस्थाओं के पेनल के निर्धारण, अंकेक्षण शुल्क की वसूली तथा अंकेक्षकों की न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव आदि के नियतन किए जाने; तथा

खण्ड-२०. सम्मन्स की तामिली की प्रक्रिया सुनिश्चित किए जाने के संबंध में,

शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 523]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 21, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. 7983-374-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 37 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 37 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2012.

TABLE OF CONTENTS.

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Substitution of long title.
3. Amendment of Section 2.
4. Substitution of Section 9-A.
5. Amendment of Section 48.
6. Amendment of Section 48-A.
7. Amendment of Section 48-B.
8. Amendment of Section 49.
9. Omission of Section 52-B.
10. Substitution of Section 53.
11. Amendment of Section 53-A.
12. Amendment of Section 56.
13. Insertion of Chapter VA.
14. Amendment of Section 58.
15. Substitution of Section 69-B.
16. Amendment of Section 70.
17. Amendment of Section 74.
18. Amendment of Section 75.
19. Amendment of Section 80.
20. Amendment of Section 86.

MADHYA PRADESH BILL

No. 37 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2012**A Bill further to amend the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2012.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on 13th February, 2013.

2. For the long title of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No 17 of 1961), (hereinafter referred to as the principal Act), the following long title shall be substituted, namely :—

Substitution of long title.

“An Act to organise, develop and to promote voluntary formation, autonomous functioning and professional management of co-operatives as democratic instruments and people’s institution based on self help and mutual aid and for curbing exploitation and ensuring socio-economic development of people with particular emphasis on weaker sections of society.”.

3. In Section 2 of the principal Act,—

Amendment of Section 2.

(i) after clause (b-i), the following clause shall be inserted, namely :—

(b-ii) “Authority” means the Madhya Pradesh State Co-operative Election Authority constituted under sub-section (1) of Section 57-C;”;

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) “Board of Directors” means the governing body or Board of management of a co-operative society by whatever name called constituted under section 48, to which the direction and control of the management of the affairs of a society is entrusted to;”;

(iii) after clause (r), the following clause shall be inserted, namely:—

“(r-i) “multi-state co-operative society” means a society with objects not confined to one State and registered or deemed to be registered under any law for the time being in force relating to such cooperatives;”;

(iv) for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:—

“(x) “Registrar” means the Registrar for co-operative societies appointed under section 3 of this Act and the Central Registrar appointed by the Central Government in relation to the multi-State co-operative societies;”;

(v) in clause (y-i), for the word “Registrar”, the words “State Co-operative Election Authority” shall be substituted;

(vi) after clause (aa), the following clause shall be inserted, namely:—

“(aaa) “State level Co-operative society” means a co-operative society having its area of operation extending to the whole of a State and registered or deemed to be registered under this Act.”.

Substitution of Section 9-A.

4. For Section 9-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Saving of existing co-operatives.

“9-A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the co-operatives registered under Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (repealed Act), shall be deemed to have registered under the corresponding provisions of this Act and byelaws framed thereof so far as the same are not inconsistent with the express provision of this Act shall continue in force until altered or rescinded.

(2) Every co-operative society registered under this Act shall, within a period of six months from the date of coming into force of the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2012, delete or amend such byelaws, as are inconsistent with the provision of this amending Act and make such further byelaws as may be necessary having regard to the provisions of this amending Act.”.

Amendment of Section 48.

5. In Section 48 of the principal Act,—

(i) in sub-section (3), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely :—

“(a) If the society has individual members belonging to scheduled castes or scheduled tribes category, one seat shall be reserved for a member from the category that has more members than the other.

(b) Two seats shall be reserved for women on the Board of Directors of every Co-operative society which has women as individual members.”;

(ii) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(5) There shall be a President/Chairman and two Vice Presidents/Vice Chairmen of the Board of Directors for every society.”;

(iii) sub-section (5-A) shall be omitted;

(iv) after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(7) In a resource society, no person who is a non-borrowing member shall be qualified for election as member of the committee, delegate or representative nor shall he be entitled to vote in any election of the committee, delegate or representative of the society:

Provided that the provisions of this sub-section shall apply to the society from the date it commences its lending operations:

Provided further that the provisions of this sub-section shall not apply to the society in so far as its first provisional committee is concerned:

Provided also that the provisions of this sub-section shall not apply to a depositor member of the Primary Agricultural Credit Co-operative Society.

Explanation.—A non-borrowing member shall be one who has never borrowed from such a Bank or a society in which he is a member.”;

(v) for sub-section (8), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

“(8) Notwithstanding any thing contained in this Act and the rules made thereunder and byelaws of a society, total number of members in the Board of Directors of a Society, excluding Government nominees appointed under sub-section (1) of Section 52 and exofficio members shall not exceed fifteen :

Provided that such Government nominees appointed under sub-section (1) of Section 52 and exofficio members shall not have the right to vote in any election of the co-operative society in their capacity as such member or to be eligible to be elected as office bearers of the Board of Directors.

(9) A person having experience in the field of banking, management, finance or specialisation in any other field relating to the objects and activities undertaken by the co-operative society shall be co-opted as member of the Board of Directors of such society :

Provided that the number of such co-opted members shall not exceed two in addition to fifteen directors specified in sub-section (8) :

Provided further that such co-opted members shall not have the right to vote in any election of the co-operative society in their capacity as such member or to be eligible to be elected as office bearers of the Board of Directors:

Provided also that all the professional directors of the committee shall continue to avail all the legal rights conferred on them by the Act until the completion of their tenure.

(10) The Board of Directors may fill casual vacancy by nomination out of the same class of members in respect of which casual vacancy has arisen if the term of office of the Board of Directors is less than half of its original term.

(11) Every co-operative society shall ensure participation of members in the management of the co-operative society. The minimum requirement of attending the meetings and the minimum level of services which shall be utilised by the members shall be such as may be prescribed in the bye-laws of the society.”.

6. In Section 48-A of the principal Act, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :—

Amendment of Section 48-A.

“(5) No person shall be eligible to be elected to any specified office in a society, and shall cease to hold his office as such, if he has held specified elected office in the society for two consecutive terms or for a continuous period of ten years, whichever is less:

Provided that a person shall not be re-elected to such specified offices till a period equal to one full term has expired.

Explanation.— For the purpose of this sub-section, if any person holding a specified office mentioned in this sub-section resigns from or is elected to such office at any time during any term, he shall on his resignation or assumption of office be deemed to have completed his term of office, as the case may be.”.

Amendment of Section 48-B.

7. In Section 48-B of the principal Act, sub-section (2) shall be omitted.

Amendment of Section 49.

8. In Section 49 of the principal Act,-

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) Every Co-operative society shall convene the annual general body meeting within a period of six months of the close of the financial year for the following purposes of,—

(a) approval of the programme of the activities of the society prepared by the Board of Directors for the ensuing year;

(b) election, if fallen due, of the members of the Board of Directors.

Explanation.—Election of the Board of Directors shall be deemed to have fallen due, if the term of the Board of Directors comes to an end;

(c) consideration of the audit report, if received and the annual report;

(d) disposal of the net profit;

(e) consideration of any other matter which may be brought forward in accordance with bye-laws;

(f) presenting the budget for the next co-operative year;

(g) examining the reasons of operational deficit in the financial year; and

(h) appointment of an auditor to audit the accounts:

Provided that in respect of a society where an order of liquidation has been issued under section 69, annual general meeting shall not be necessary to be called.”;

(ii) sub-section (1-A) shall be omitted;

(iii) in sub-section (7-A), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

“(i) The term of Board of Directors and office bearers shall be five years from the date on which first meeting of the Board of Directors is held:

Provided that where a Board of Directors superseded, suspended or removed under the Act is reinstated as a result of any order of any court or authority, the period during which the Board of Directors remained under supersession, suspension, out of office, as the case may be, shall be excluded in computing the period of the term aforesaid.”;

(iv) sub-sections (7-AA), (7-AAA) and (8) shall be omitted.

Omission of Section 52-B.

9. Section 52-B of the principal Act shall be omitted.

Substitution of Section 53.

10. For Section 53 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Supersession of Board of Directors.

“53. (1) If in the opinion of the Registrar, the Board of Directors of any society,-

(a) is in persistent default; or

- (b) is negligent in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or bye-laws of the society or by any lawful order passed by the Registrar or is unwilling to perform such duties; or
- (c) commits acts which are prejudicial to the interests of the society or its members; or
- (d) violates the provisions of this Act or the rules made thereunder or byelaws of the society, or
- (e) there is stalemate in the constitution or functions of the Board of Directors of a Society; or
- (f) the Authority has failed to conduct elections within the prescribed time limit, the Registrar may, by order in writing, remove the Board of Directors and appoint an administrator to manage the affairs of the society for a specified period which shall not exceed six months and in case of a co-operative bank one year:

Provided that the Board of Directors of any such co-operative society shall not be superseded or kept under suspension where there is no Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government:

Provided further in case of a co-operative bank, the order of supersession shall not be passed without previous consultation with the Reserve Bank:

Provided also that if no communication containing the views of the Reserve Bank, on action proposed is received within thirty days of the receipt by that Bank of the request soliciting consultation, it shall be presumed that the Reserve Bank agrees with the proposed action and the Registrar shall be free to pass such order as may be deemed fit.

- (2) No order under sub-section (1) shall be passed unless a list of allegations, documents and witnesses in support of charges leveled against it, has been provided and the Board of Directors has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order and representation, if any, made by it, is considered.
- (3) The administrator so appointed, shall subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may, from time to time, give, have power to exercise all or any of the powers and to discharge all or any of the functions of the Board of Directors or of any officer of the society, and to take all such actions, as may be required in the interest of the society.
- (4) The Registrar may fix the remuneration payable to the administrator so appointed. The amount of such remuneration and other costs, if any, incurred in the management of the society shall be payable from its funds.
- (5) The administrator so appointed shall manage the affairs of the society and shall arrange the conduct of election under the direction of the Authority within the period specified in clause (f) of sub-section (1) of Section 53.
- (6) Before taking action under sub-section (1) in respect of a financing bank or in respect of a society indebted to a financing Bank, the Registrar shall consult, in the former case, the Madhya Pradesh State Co-operative Bank Limited and, in the later case, the financing bank concerned, regarding such action. If the Madhya

Pradesh State Co-operative Bank Limited or the financing bank, as the case may be, fails to communicate its views within thirty days of the receipt by such bank of the request soliciting consultation, it shall be presumed that the Madhya Pradesh State Co-operative Bank limited or the financing bank concerned, as the case may be, agreed with the proposed action.

- (7) Notwithstanding anything contained in Section 48, 49 and 50, if there is a difference of opinion between the general body of society and the person or persons appointed under sub-section (1) in respect of any matter, it shall be referred to the Registrar for decision and his decision thereon shall be final:

Provided that if the Registrar fails to take any decision within three months of the general body meeting, the decision of the general body of the society shall prevail.

- (8) Nothing in this section shall be deemed to affect the power of the Registrar to direct the winding up of the society.

- (9) During the period between the issuance of notice and the passing of an order removing the Board of Directors, the Board of Directors may be required by the Registrar to function under the supervision, and with the approval of such authority as the Registrar may specify in this behalf and no order made or resolution passed or any other act performed by the Board of Directors shall be effectual unless it is approved by such specified authority:

Provided where the Registrar, while proceeding to take action under sub-section (2), is of the opinion that the supersession of the Board of Directors during the period of proceeding is necessary in the interest of the society he may suspend the Board of Directors, which shall thereupon cease to function and make such arrangement as he thinks fit, of the affairs of the society till the proceedings are completed and order issued under sub-section (1):

Provided further that the period of suspension shall not exceed six months and on the expiry of said period the suspension of the Board of Directors shall stand revoked:

Provided further that, if the Board of Directors so suspended, is not superseded after undergoing the proceeding mentioned above, it shall be re-instated and the period during which it has remained suspended shall not count towards its term:

Provided also that no order of suspension shall be made unless the Board of Directors of the society has been given a reasonable opportunity of being heard.

- (10) Notwithstanding anything contained in this Act, the Registrar shall, in case of Central Co-operative Banks, Urban Co-operative Banks, Urban Credit Co-operative Societies and Primary Co-operative Land Development Banks, if the recovery continuously in three co-operative years is less than 60 percent of the demand or if the overdues exceed 40 percent, pass an order for removal of the Board of Directors or the Managing Board of Directors by whatever name it is called and for appointment of an administrator therefor for such period or periods not exceeding one year and in case of an Urban Credit Co-operative society six months in aggregate, as may be specified by the Registrar and on such appointment, the provisions of sub-sections (3), (4) and (5) shall apply thereto as if an order was passed under sub-section (1) :

Provided that in case of a co-operative bank, the order of removal shall not be passed without previous consultation with the Reserve Bank:

Provided further that if no communication containing the views of the Reserve Bank, on action proposed is received within thirty days of the receipt by that Bank of the request soliciting consultation, it shall be presumed that the Reserve Bank agrees with the proposed action and the Registrar shall be free to pass such order as may be deemed fit:

Provided also that no such order shall be made unless the Board of Directors has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order and representation, if any, made by it is considered.

- (11) When a Board of Directors of a society has been superseded under sub-section (1) any member of the Board of Directors, notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder or byelaws of the society, shall not be eligible for contesting the election as a member of the Board of Directors nor shall he be eligible for cooption or nomination in any society for a period of seven years:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to a member of the Board of Directors of a society who was not a party of such a decision of the Board of Directors which led to the supersession of it.

- (12) Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder or byelaws of society, if the Board of Directors of society ceases to function due to order of any court or in the absence of prescribed quorum, the Registrar may appoint an administrator temporarily till the court order is vacated or the new elections are held and the Board of Directors takes charge:

Provided that if the society ceases to function due to absence of quorum as prescribed, the administrator so appointed by the Registrar, shall conduct election under direction of the Authority to elect Board of Directors of the society within a period of six months from the date of appointment of such administrator and ensure that the Board of Directors takes charge :

Provided further that in case of a Co-operative Bank, no administrator shall be appointed by the Registrar without prior consultation with the Reserve Bank:

Provided also that if no communication containing the views of the Reserve Bank, on action proposed is received within thirty days of the receipt by that bank of the request soliciting consultation, it shall be presumed that the Reserve Bank agrees with the proposed action and the Registrar shall be free to pass such order as may be deemed fit.

- (13) (a) Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of any Co-operative Bank, if so required by the Reserve Bank, in the public interest or for preventing the affairs of the co-operative banks being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors or for securing the proper management of the co-operative bank, an order shall be made by the Registrar for the removal of the Board of Directors or managing body (by whatever name it is called) and for the appointment of an administrator, to manage the affairs of the co-operative Bank, for such period or periods, not exceeding one year in the aggregate, as may from time to time be specified by the Reserve Bank, and the administrator so appointed shall continue to remain in office even after the expiry of his term of office till the date immediately preceding the day of holding the first meeting of the new committee.

- (b) On such appointment of an administrator, the provision of sub-section (3) shall also be applicable on him.
- (c) No appeal, revision or review shall lie or be permissible against an order as is referred to in clause (a) made on the requisition of the Reserve Bank and such order shall not be liable to be called in question by any manner.”.

Amendment of Section 53-A.

11. In Section 53-A of the principal Act, in sub-section (1),—

- (i) clause (ii) shall be omitted;
- (ii) sub-clause (b) below clause (iv) shall be omitted.

Amendment of Section 56.

12. In Section 56 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(2) Every society shall fix specific responsibility on the officer or employee of the society to maintain such records, registers, books of accounts and the society shall file returns within six months of the close of every financial year to the Registrar including the following matters, namely:-

- (i) annual report of its activities;
- (ii) its audited statement of accounts;
- (iii) plan for surplus disposal as approved by the general body of the co-operative society;
- (iv) list of amendments to the byelaws of the Co-operative society, if any;
- (v) declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of elections when due; and
- (vi) any other information required by the Registrar in pursuance to the provisions of the Act.”.

Insertion of Chapter-VA.

13. After Chapter-V of the principal Act, the following Chapter shall be inserted, namely:—

“CHAPTER-VA

CONDUCT OF ELECTIONS TO CO-OPERATIVE SOCIETIES

Election of the Board of Directors.

- 57-B. (1) The election of members of the Board of Directors shall be conducted before the expiry of the term of Board of Directors so as to ensure that the newly elected members of the Board of Directors assume office immediately on the expiry of the term of members of the outgoing Board of Directors.
- (2) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections of co-operative society shall vest in the State Co-operative Election Authority under the provision of this Act and rules made thereunder.

State Co-operative Election Authority.

- 57-C. (1) The State Government shall, by notification, in the Gazette, appoint a person as the Madhya Pradesh State Co-operative Election Authority, hereinafter called the Authority.

- (2) The Authority shall be appointed by the State Government on recommendation of a screening committee consisting of,—
- (i) Chief Secretary who shall be the Chairperson of the committee;
 - (ii) Principal Secretary, Law and Legislative Affairs Department as a member;
 - (iii) Principal Secretary, Co-operation Department as a member secretary.
- (3) (a) Only such a person who has served in a post not below the rank of Secretary to State Government shall be eligible for appointment as the Authority.
- (b) The person so appointed as Authority shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for reappointment :

Provided that no person shall hold the office of Authority after he has attained the age of sixty-five years.

- (4) (a) The person appointed as Authority may, at any time, by writing under his hand addressed to the State Government, resign his office.
- (b) The person so appointed as Authority shall be removed from his office by order of the State Government on the ground of proven misconduct or incompetence or if the person,—
 - (i) is adjudged an insolvent; or
 - (ii) has been convicted of an offence, which in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or
 - (iii) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or
 - (iv) is, in the opinion of the Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or
 - (v) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as the Authority.
- (5) If any vacancy occurs in the office of Authority by death, resignation, expiry of the term of appointment, or for any other cause, whatsoever, such a vacancy shall be filled by appointment of a person qualified for appointment under this section.
- (6) The head quarters of the Authority shall be at Bhopal.
- (7) Salary, allowances and terms and conditions of service of the person appointed as Authority shall be such as prescribed by the State Government.
- (8) The State Government shall provide the Authority with such officer and staff as may be necessary for the performance of his functions.
- (9) For the purpose of this Chapter the Joint Registrar Co-operative Societies at divisional level and Deputy/Assistant Registrar Co-operative Societies at district level shall act as Divisional Coordinator and District Coordinator respectively and shall discharge such duties for the conduct of election as entrusted to them by the Authority.

Functions of Authority.	<p>57-D. (1) The Authority shall conduct elections of all co-operative societies registered under the Act in such manner as may be prescribed.</p> <p>(2) The outgoing committee of every co-operative society specified in sub-section (2) of Section 48 shall send a written request in such manner as may be prescribed to the Authority to conduct the election of its committee four months prior to the expiry of the term of the existing committee.</p> <p>(3) On receipt of the request under sub-section (2), the Authority shall ensure that the election is conducted before the expiry of the term of existing committee:</p> <p>Provided that if the committee does not send the written request within the prescribed time, the Authority shall conduct the election suo moto.</p> <p>(4) It shall be the duty of the committee of a society to ensure that all information, books and records, which the Authority may require for the purpose of election, are kept updated and made available in time to the Authority or a person authorised by it for the purpose.</p> <p>(5) The committee of the society shall also ensure that all assistance to the Authority is provided as may be required for conduct of the election.</p> <p>(6) The Authority shall appoint a Returning Officer in the prescribed manner to conduct election to the committee of a society.</p>
Election expenditure.	<p>57-E. All expenses for holding elections of the committee of a Co-operative society shall be borne by the concerned society. The society shall have to deposit the process fee as may be prescribed in the account of the Authority alongwith a written request for conduct of the election:</p> <p>Provided that if any society does not deposit the process fee, the Authority shall have the power to recover the same as Government dues.</p>
Power to issue directions.	<p>57-F. The Authority may issue such directions as may be considered necessary for conducting free, fair and impartial elections to any society or its committee or members. The directions issued in this behalf shall be binding.”.</p>
Amendment of Section 58.	<p>14. In Section 58 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—</p> <p>“(1) (a) Every co-operative society shall cause the accounts to be audited by an auditor or auditing firm appointed by the general body of the co-operative society from a panel approved by the Registrar and pay the audit fee as may be prescribed :</p> <p>Provided that in case of a liquidated society, the liquidator is authorised to appoint an auditor or auditing firm from a panel approved by the Registrar.</p> <p>(b) The minimum qualifications and experience of the auditor and auditing firm which is eligible for auditing accounts of the Co-operative societies shall be such as may be prescribed by the Registrar.</p> <p>(c) The accounts of every Co-operative society shall be audited within six months of the close of the financial year to which such accounts relate.</p> <p>(d) The audit report of the accounts of an apex co-operative society shall be laid on the table of the Legislative Assembly.</p>

- (e) The statement of accounts and audit report shall be submitted to the Registrar. If the Registrar finds that there is any discrepancy or financial irregularity or embezzlement, the Registrar may take appropriate action according to the relevant provisions of the Act, or may return for rectification or may order for special audit of the accounts.”.

15. For Section 69-B of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 69-B.

“69-B. Where a co-operative Bank, being an insured bank within the meaning of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961) is wound up, or taken into liquidation, and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation has become liable to the depositors of the insured bank under sub-section (1) of Section 16 of that Act, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation shall be repaid in the circumstances, to the extent and in the manner provided in Section 21 of that Act.”.

Repayment of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation in case of insured Bank.

16. In Section 70 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 70.

“Provided that in respect of a co-operative bank, an order, for the winding up of the bank and the appointment of liquidator thereof made by the Registrar with the previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank, shall not be called in question in any co-operative court.”.

17. In Section 74 of the principal Act, in clause (k) for full stop, the semi-colon shall be substituted and thereafter the word “or” shall be inserted and thereafter, the following clauses shall be inserted, namely :—

Amendment of Section 74.

- “(l) any person wilfully or without any reasonable excuse disobeying any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of the Act; or
- (m) any employer who without sufficient cause, fails to pay to a co-operative society the amount deducted by him from its employee within a period of fourteen days from the date on which such deduction is made; or
- (n) whoever, before, during or after the election of members of the Board of Directors or office bearers adopts any corrupt practice.”.

18. In Section 75 of the principal Act, in clause (k) for full stop, the semi-colon shall be substituted and thereafter the word “or” shall be inserted and thereafter, the following clauses shall be inserted, namely :—

Amendment of Section 75.

- “(l) with fine not exceeding Rs.25,000, provided that he is convicted of an offence referred to in sec. 74 (l); or
- (m) with fine not exceeding Rs.25,000, provided that he is convicted of an offence referred to in sec. 74 (m); or
- (n) with fine not exceeding Rs.50,000, provided that he is convicted of an offence referred to in sec. 74 (n).”.

19. In Section 80 of the principal Act, for the word and figures “Section 78”, the word, figures and letter “Sections 78 and 80-A” shall be substituted and for the words “Joint Registrar or the Deputy Registrar” the words “or Joint Registrar” shall be substituted.

Amendment of Section 80.

Amendment of Section 86.

20. In Section 86 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :-

“(1) Every notice or order issued or made under this Act, the rules or bye-laws may be served on any person by properly addressing it to the last known place of residence or business of such person by registered post or by a public notice:

Provided that a notice relating to a meeting of the Board of Directors shall be issued by registered post and/or hand delivery after obtaining acknowledgement of the receipt thereof.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Parliament has further amended the Constitution of India by enacting the Constitution (Ninety-seventh Amendment) Act, 2011 (hereinafter referred to as the Amendment Act, 2011). A new Part IX-B in respect of the Co-operative Societies has been inserted containing articles 243-ZH to 243-ZT in the Amendment Act, 2011.

2. Article 243-ZT provides that any provision of any law relating to Co-operative Societies in force in a State immediately before the commencement of the Amendment Act, 2011 which is inconsistent with the provisions of the above Act shall continue to be in force until amended or repealed by a competent Legislature or until the expiration of one year from such commencement, whichever is less.

3. The Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as State Act), is in force in the State of Madhya Pradesh. In accordance with the provisions of article 243-ZT, it is mandatory for the State of Madhya Pradesh to make the provisions in the State Act in pursuance to the Amendment Act, 2011.

4. In the light of the above it has been decided to amend the State Act suitably.

5. Salient features of the proposed amendments are as under :-

- (i) Clause 2 and 3— Long title of the State Act has been amended and new definitions has been proposed to be inserted.
- (ii) Clause 4— Saving clause for existing co-operatives registered has been provided.
- (iii) Clause 5, 6 and 7—Provision for reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Women has been proposed. Provision for disqualification for holding specified office. Necessary provision for filling of casual vacancy and minimum requirement of attending meeting has been made.
- (iv) Clause 8— Necessary provision for convening annual general meeting of a cooperative society within a fix time period has been made.
- (v) Clause 9— Provision for representation of women members in the Board of Directors is proposed to be omitted.
- (vi) Clause 10— In this clause suitable provision in respect of supersession of Board of Directors, suspension and interim arrangement have been added as required by the Amendment Act, 2011.
- (vii) Clause 11— Provision for assumption of charge on the expiration of term of the Board of Directors is proposed to be omitted.

- (viii) Clause 12— Provision for filing returns has been proposed.
- (ix) Clause 13— A new chapter regarding election of members of Board of Directors, and appointment of State Co-operative Election Authority and functions of Authority have been proposed.
- (x) Clause 14— Provisions of audit of accounts of Co-operative Societies has been suitably revised.
- (xi) Clause 15— Necessary provision has been proposed for repayment of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.
- (xii) Clause 16— Necessary provision has been proposed so that the order of appointment of liquidator may not be called in question in any manner.
- (xiii) Clause 17— Commission of certain act or omission as offences has been included.
- (xiv) Clause 18— Commission of certain act or omission as penalties has been included.
- ((xv) Clause 19— Provision of transfer or withdrawal of cases has been changed.
- (xvi) Clause 20— In this clause the procedure of service of notices has been changed. The notice shall only be served by registered post or by hand delivery.

6. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 6th December 2012.

GAURI SHANKAR BISEN
Member-in-Charge.